:: कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर

::ईमेल-dc-jod-rj@nic.inवेबसाईट -www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro

क्रमांक:176 **दिनांक:24.04.2021**

:: कार्यालय–आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नोटिस दिनांक 23.04.2021 द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाईन दिनांक 23.04.2021 की पालना में पूरे राज्य में कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु दिनांक 23.04.2021 की सांय 5.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 को प्रातः 5.00 बजे तक वीकेण्ड कर्फ्यु होने से समस्त अधीनस्थ/विशिष्ठ एवं अधिकरणों में न्यायालय एवं कार्यालय का कार्य स्थगित किया गया है। उक्त नोटिस की पालना में जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के लिये श्री पवन कुमार विश्नोई, महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2, जोधपुर महानगर को दिनांक 24.04.2021 को आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(वक्त प्रातः 9.30 से 11 बजे तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत किया जाता है। साथ ही श्री भंवरसिंह, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर महानगर, जोधपुर दिनांक 24.04.2021 को उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहेंगे।

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेष में यह आवष्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट : (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाष घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवष्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाष न्यायालय के समक्ष पेष किया जावे। निर्धारित समय में अवकाष न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेष न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेष करने पर थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही जावेगी। विषेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेष करते समय निवास में प्रवेष न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देषानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधत न्यायालय का स्टॉफ अवकाष के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दषा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

Scanned with CamScanner

क्रमांक : 2773 दिनांक : 23.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
2. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 8, पीसीपीएनडीटी, जोधपुर महानगर।
3. महानगर मजिस्ट्रेट 2, 5, 10 एवं एन आई एक्ट संख्या 1, 4, 6, 9 जोधपुर महानगर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
5. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवष्यक रूप से व्यवस्था करावें।
6. नोटिस बोर्ड (ज्यूडिषियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)
7. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जोधपुर महानगर।
8. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिषियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल एवं कमांड (पुलिस विभाग) सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाईट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

Scanned with CamScanner